



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 198 / 13 सी0

दिनांक 15-02-2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय घोषणा संख्या 1732/2015 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अंतर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.915 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/Road/31411/2018)।

संदर्भ:- 8बी./यू.सी.पी/09/66/2021/एफ0सी0/935।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिंदुवार आख्या निम्नवत है -

क्र० स०	आपत्ति	निराकरण
1	Enumeration में 0.28 हे० वन क्षेत्र जो कि मलवा निस्तारण हेतु चयनित है पर वृक्षों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः पृथक से सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।	मलवा निस्तारण हेतु 0.280 हे० चयनित भूमि में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिस का प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया है कि कुल 743 वृक्षों (नाप भूमि के वृक्षों को सम्मिलित करते हुये) में से 597 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें वन भूमि के कितने एवं नाप भूमि के कितने वृक्ष होंगे। अतः इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करें।	मोटर मार्ग निर्माण से कुल 734 वृक्ष प्रभावित हुए हैं जिसमें सिविल भूमि में कुल 77 वृक्ष हैं, जिसमें 0-10 के 52 वृक्ष झाड़ीनुमा हैं। जिसका पातन नहीं किया जाना है, इस प्रकार कुल 77-52=25 वृक्ष सिविल भूमि में प्रभावित हो रहे हैं, वन पंचायत भूमि कुल 554 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 0-10 के 42 वृक्ष झाड़ीनुमा हैं, जिसका पातन नहीं किया जाना है। इस प्रकार कुल 554-42=512 वृक्ष वन पंचायत में प्रभावित हो रहे हैं एवं नाप भूमि में कुल 112 वृक्ष हैं, जिसमें 0-10 के 52 वृक्ष झाड़ीनुमा हैं, जिस का पातन नहीं किया जाना है। इस प्रकार कुल 112-52=60 वृक्ष नाप भूमि में प्रभावित हो रहे हैं, वास्तविक रूप से वन भूमि में 537 वृक्ष एवं नाप भूमि में 60 वृक्ष कुल 597 वृक्षों का पातन वास्तविक रूप से किया जाना है।
3	बिन्दु सं० के सापेक्ष संशोधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जिनमें यह उल्लेखित है कि सी०ए० हेतु चयनित भूमि 1000 पौधों प्रति हे० की दर से वसंदजंजपवद हेतु उपयुक्त है, किन्तु न तो DFO द्वारा Site Visit की गई है और ना ही वी०डी०एफ० दर्शित होने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र में वी०डी०एफ० मान्य नहीं है। अतः Guideline के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्यत्र भूमि चयनित करने हेतु आपत्ति लगाई गई थी, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उड़मा तहसील डीडिहाट जिला पिथौरागढ़ 9.830 हे० सिविल भूमि चयनित कर डिजिटल मैप जियोरिफरेंस मैप एवं 10 वर्ष की योजना, एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
4	Reclamation Plan भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। कृपया Reclamation Plan प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकार के स्तर से होना है।

अतः उक्त कमियों का निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 5 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न -- उपरोक्तानुसार

पत्रांक / 13सी० तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
3. सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० अस्कोट।
4. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट।
15/02/2025

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट।

:: प्रमाण-पत्र ::

परियोजना का नाम – माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अंतर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अंतर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित (0.280 हे०) वन भूमि में मलुवा निस्तारण हेतु चयनित किये गये स्थलों पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

Kingh

कनिष्ठ अभियंता

De

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

De 14/02/25

अधिसूचना अधिसूचना
पिथौरागढ़ लो० नि० वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)
अधीनस्थ अभियंता

De

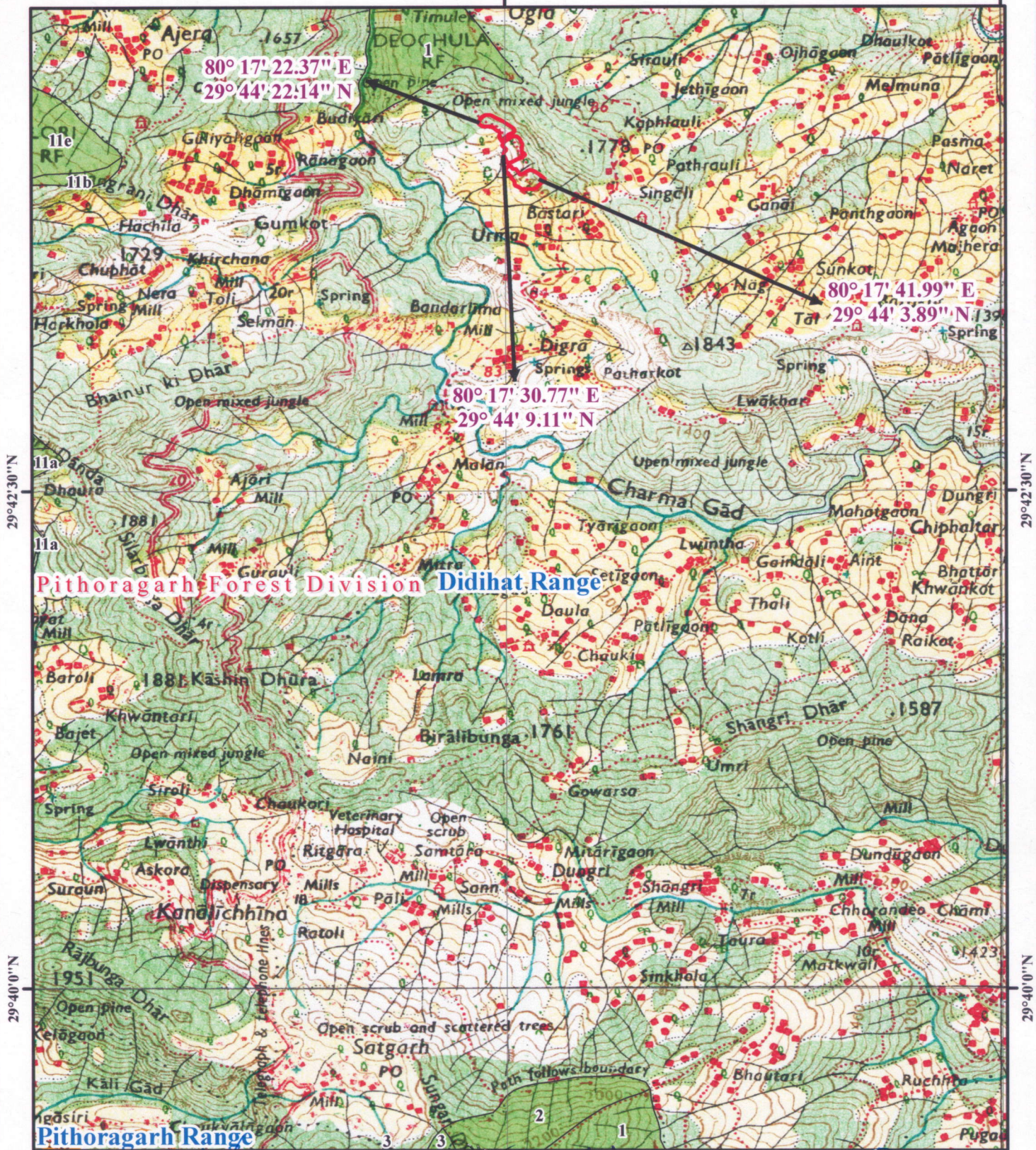
वन क्षेत्राधिकारी
अस्कोट

ग्राम-उड़मा

SOI Toposheet 62C/06

80°17'30"E

80°20'0"E



Legend

- | | |
|---|--------------------------|
|  | Proposed Land |
|  | Protected Area |
|  | Reserve Forest Boundary |
|  | Reserve Forest Area |
|  | Forest Range Boundary |
|  | Forest Division Boundary |

High
J.C.

महायाना अभिनयन्ता ()
निर्माण खण्ड लो०नि०वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

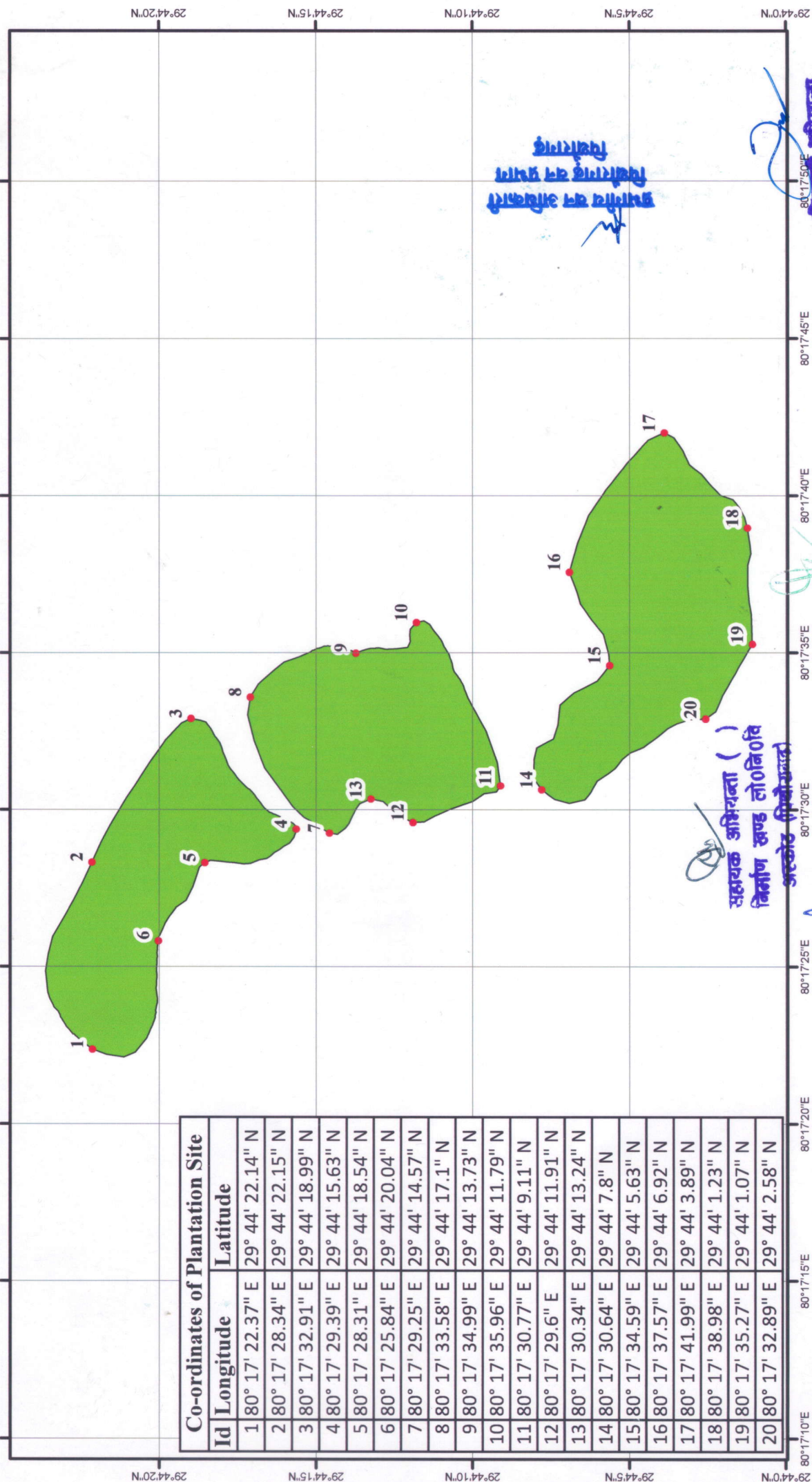
वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

अभियंता अभियन्ता
मिस्त्रां छद्म लो० लि० वि०
अभ्युदय (विद्यार्थी)

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km
Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

जियोरेफरेन्स मैप:-जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत निर्माण खण्ड लोनिवि0 अस्कोट में प्रस्तावित मोटर मार्ग मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1372/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अंतर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल



Co-ordinates of Plantation Site	
Id	Latitude
1	29° 44' 22.14" N
2	29° 44' 22.15" N
3	29° 44' 18.99" N
4	29° 44' 15.63" N
5	29° 44' 18.54" N
6	29° 44' 20.04" N
7	29° 44' 14.57" N
8	29° 44' 17.1" N
9	29° 44' 13.73" N
10	29° 44' 11.79" N
11	29° 44' 9.11" N
12	29° 44' 11.91" N
13	29° 44' 13.24" N
14	29° 44' 7.8" N
15	29° 44' 5.63" N
16	29° 44' 6.92" N
17	29° 44' 3.89" N
18	29° 44' 1.23" N
19	29° 44' 1.07" N
20	29° 44' 2.58" N

Legend

- GPS Location
- Proposed Plantation Site

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड लोनिवि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडाहाट

अभिषेक अधिकारी
निर्माण खण्ड लोनि वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

1:5,148



प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1712/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य। लम्बाई 10.000 किमी०।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-ग्राम उड़मा सिविल भूमि

क्षेत्रफल (है०)

9.8300

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (1100 पौधे/है०)

10813

1100

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई (है०/सं०)	इकाई दर (₹)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	9.8300	147.00	1445.01
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि कार्य)	9.8300	12300.00	120909.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फंन्सिंग)	9.8300	41900.00	411877.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	9.8300	24100.00	236903.00
5	गड़डा खुदान (0.30X0.30X0.45)	10813	11.14	120456.82
6	निरीक्षण बटिया बनाना	9.8300	737.00	7244.71
7	पौधों का मूल्य	10813	8.70	94073.10
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	9.8300	400.00	3932.00
9	अन्य कार्य	9.8300	900.00	8847.00
योग :- (प्रथम चरण)				1005687.64
द्वितीय चरण				
1	गड़डा भरान (0.30X0.30X0.45)	10813	1.75	18922.75
2	पौधों का मूल्य	10813	1.75	18922.75
3	पौध डुलान कार्य	10813	9.70	104886.10
4	पौधा रोपण व थावलाबन्दी	10813	3.13	33844.69
5	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	10813	1.15	12434.95
6	खाद व दवा पर व्यय	10813	0.32	3460.16
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	12 Month	23650.00	283800.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	9.8300	350.00	3440.50
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4मी० की पट्टी साफ करना	9.8300	225.00	2211.75
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्सान देना	9.8300	400.00	3932.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेन्टेशन आदि कार्य	9.8300	700.00	6881.00
10	अन्य कार्य	9.8300	600.00	5898.00
कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				498634.65
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	23650.00	283800.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील प्रदार्थों को हटाना प्रति है०	9.8300	350.00	3440.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4मी० पट्टी साफ करना	9.8300	225.00	2211.75

	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.8300	445.00	4374.35
3	अन्य कार्य	9.8300	625.00	6143.75
योग :- (प्रथम वर्ष रख-रखाव)				299970.35
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	26000.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	625.00	6143.75
योग :- (द्वितीय वर्ष रख-रखाव)				289943.75
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	26000.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	625.00	6143.75
योग :- (तृतीय वर्ष रख-रखाव)				289943.75
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	26000.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (चतुर्थ वर्ष रख-रखाव)				289914.26
वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	27500.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (पांचवें वर्ष रख-रखाव)				289914.26
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	27500.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (छठे वर्ष रख-रखाव)				289914.26
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	27500.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (सातवें वर्ष रख-रखाव)				289914.26
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	27500.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (आठवें वर्ष रख-रखाव)				289914.26
वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	27500.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (नवें वर्ष रख-रखाव)				289914.26
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रख-रखाव				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12 Month	27500.00	283800.00
2	अन्य कार्य	9.8300	622.00	6114.26
योग :- (दसवें वर्ष रख-रखाव)				289914.26
कुल योग :-				4413579.96
या :-				4413580.00

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

प्रपत्र-36

परियोजना का नाम:-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1712/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य। लम्बाई 10.000 किमी०।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्रामसभा उड़मा (सिविल भूमि 9.830 है०) स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

प्रमाणित हुआ
क. र.
डीडीहाट

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़
प्रभागीय वन अधिकारी